न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2025/671

मिसल नम्बर–160/2025

श्रीमती उषा मित्तल पत्नी श्री मुरारी लाल मित्तल निवासी रामपुरा बाजार कोटा जरिये मुख्तार आम कमल किशोर मित्तल पुत्र श्री रामसुख मित्तल निवासी मकान नं0 140 न्यू गोपाल विहार बोरखेडा कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।
2.रूकमणी बाई पत्नी रामबाबू पुत्री सूरमल निवासी ग्राम दसलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(राजस्थान भू–राजस्वअधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थनापत्र।)

दिनांक 30/03/2026

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री सुधीन्द्र यादव
2. अप्रार्थी नं0 2 अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार गौतम

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस बाबत् प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम मानपुरा पटवार हल्का नयानोहरा भू अभिलेख निरीक्षक रायपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में खसरा नम्बर–283/85 की रकबा 0.1450 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। जो वर्तमान में प्रार्थीया के खाते राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम मानपुरा, पटवार हल्का नयानोहरा, भू–अभिलेख निरिक्षक रायपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में खसरा नम्बर 85 की रकबा 0.1450 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है, जो वर्तमान में अप्रार्थी क्रम 2 के खाते राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। खसरा नम्बर 85 की रकबा 0.1450 हैक्टर भूमि प्रार्थीया द्वारा खरीद की गयी थी और खरीद के पश्चात राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि नामांतरण संख्या 216 दिनांक 02.02.2009 से प्रार्थीया के खाते दर्ज चली आ रही थी। इसी प्रकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

खसरा नम्बर 263/85 की रकबा 0.1450 हैक्टर भूमि प्रार्थीया के खाते दर्ज चली आ रही है। इस प्रकार सम्बत् 2066 की राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खसरा नम्बर 85 की रकबा 0.1450 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के खाते दर्ज थी, जो बिल्कूल सही दर्ज थी, परन्तु इसके पश्चात जब राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया तो प्रार्थीया के खाते दर्ज उक्त भूमि को अप्रार्थी क्रम 2 के खाते दर्ज कर दिया गया तथा अप्रार्थी क्रम 2 के खाते दर्ज भूमि खसरा नम्बर–263/85 की रकबा 0.1450 हैक्टर भूमि प्रार्थीया के दर्ज कर दी गयी, इसलिए राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया के लिए उक्त त्रटि को दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 को भी इस बाबत् सूचना दी गयी कि वह प्रार्थीया के खाते दर्ज भूमि को अप्रार्थी क्रम 2 के खाते दर्ज कर देवे तथा अप्रार्थी क्रम 2 के खाते दर्ज भूमि को प्रार्थीया के खाते दर्ज कर देवे। परन्तु अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया गया तथा अंतिम बार भी दिनांक 14.11.2025 अप्रार्थी क्रम 1 को उक्त त्रुटि के बारे में अवगत कराया गया परन्तु उसके द्वारा कहां गया कि हम उक्त त्रुटि को न्यायालय के आदेश के बिना दुरूस्त नहीं कर सकते, इसलिए प्रार्थीया के लिए उक्त राजस्व रिकार्ड में हुयी त्रुटि को दुरूस्त कराया जाना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के खाते दर्ज भूमि को अप्रार्थी क्रम 2 के खाते दर्ज करने तथा अप्रार्थी क्रम 2 के खाते दर्ज भूमि को प्रार्थीया के खाते दर्ज करने के आदेश प्रदान फरमावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थी नं0 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि नामान्तरण सख्या 216 क अनुसार खसरा नं0 85 का पश्चिमी हिस्सा अप्रार्थीया क्रम 2 के एवं पूर्वी हिस्सा प्रार्थीया के खाते दर्ज होना था जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रकरण में तहसीलदार लाडपुरा से भी तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में कथन किया है कि मुताबिक भू नक्शा वर्तमान स्थिति खसरा संख्या 263/85 पश्चिमी एवं खसरा नं0 85 पूर्वी दिशा में स्थित है अर्थात तरमीम हो रही है। प्रार्थीया द्वारा संलग्न माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के द्वारा मुकदमा नं0 60/03 वाद वास्ते बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा में निर्णय दिनांक 02.02.2009 की प्रति संलग्न की गई है जिसमें बिन्दु संख्या 2 में खसरा नं0 85/0.29 है0 वाके ग्राम मानपुरा में

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

आधा हिस्सा पूर्वी में उषा मित्तल के नाम एवं शेष आधा हिस्सा पश्चिम दिशा में रूकमणी बाई के नाम दर्ज करने हेतु लिखा गया है। जिसकी पालना में नामा0 संख्या 216/18.11.09 जर्ये डिक्री स्वीकृत किया गया जिसमें उषा मित्तल पत्नी मुरारीलाल मित्तल जाति महाजन नि0 रामपुरा बाजार कोटा के नाम खसरा नं0 85 रकबा 0.1450 है0 भूमि दर्ज करने की स्वीकृति हुई। उक्त नामा0 में दिशा अंकित नही की गयी एवं ना ही नजरी नक्शा अंकित है। प्रार्थीया द्वारा संलग्न माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के जमना बाई वगै0 बनाम शकुन्तला वगै0 राजीनामा निर्णय दिनांक 02.02.2009 में राजीनामा के बिंदु संख्या 2 से यह स्पष्ट होता है कि वादिनी रूकमणी बाई पश्चिमी दिशा में तन्हा खातेदार रहेगी जबकि प्रार्थीया उषा मित्तल पूर्वी दिशा में आधे भाग में खातेदार रहेगी। परंतु नक्शा लट्ढा में प्रार्थीया के खसरा नं0 की तरमीम पूर्वी दिशा के स्थान पर पश्चिमी दिशा में कर दी गई। अतः प्रार्थीया के भू नक्शे व नक्शा लट्ढा में खसरे नम्बर की तरमीम पश्चिमी दिशा के स्थान पर पूर्वी दिशा में किया जाना उचित होगा।

प्रार्थीया की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत की एवं दस्तावेज नकल सत्यप्रतिलिपि राजीनामा दिनांक 03.03.08, डिक्री दिनांक 02.02.2009, फोटो कॉपी नक्शा ट्रेस सम्वत 2034, इंतकाल सं0 216 दिनांक 17.01.2010, इंतकाल संख्या 110, इंतकाल संख्या 113 एवं इंतकाल संख्या 117 पेश किये।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया व बहस के कथनों पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थीया के खाते दर्ज भूमि को अप्रार्थी कम 2 के खाते दर्ज करने तथा अप्रार्थी कम 2 के खाते दर्ज भूमि को प्रार्थीया के खाते दर्ज करने के आदेश प्रदान फरमावे।

तहसीलदार लाडपुरा द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थीया द्वारा संलग्न माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के जमना बाई वगै0 बनाम शकुन्तला वगै0 राजीनामा निर्णय दिनांक 02.02.2009 में राजीनामा के बिंदु संख्या 2 से यह स्पष्ट होता है कि वादिनी रूकमणी बाई पश्चिमी दिशा में तन्हा खातेदार रहेगी जबकि प्रार्थीया उषा मित्तल पूर्वी दिशा में आधे भाग में खातेदार रहेगी। परंतु नक्शा लट्ढा में प्रार्थीया के खसरा नं0 की तरमीम पूर्वी दिशा के स्थान पर पश्चिमी दिशा में कर दी गई। अतः प्रार्थीया के भू नक्शे व नक्शा लट्ढा में खसरे नम्बर की तरमीम पश्चिमी दिशा के स्थान पर पूर्वी दिशा में किया जाना उचित होगा।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्राथीया की ओर से प्रस्तुत उक्त दस्तावेजो एवं तहसील रिपोर्ट के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के मुकदमा नं0 60/03 वाद वास्ते बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा में निर्णय दिनांक 02.02.2009 बिन्दु संख्या 2 में खसरा नं0 85/0.29 है0 वाके ग्राम मानपुरा में आधा हिस्सा पूर्वी में उषा मित्तल के नाम एवं शेष आधा हिस्सा पश्चिम दिशा में रूकमणी बाई के नाम दर्ज करने के आदेश पारित हुये है। राजीनामा के बिंदु संख्या 2 से यह स्पष्ट होता है कि वादिनी रूकमणी बाई पश्चिमी दिशा में तन्हा खातेदार रहेगी। अप्रार्थीया नं0 2 की ओर से भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

संलग्न दस्तावेजों से यह प्रमाणित है कि ग्राम मानपुरा में स्थित खसरा नं0 85 का पश्चिमी हिस्सा अप्रार्थीया नं0 2 के एवं पूर्वी हिस्सा प्रार्थीया के खाते दर्ज होना चाहिए था। प्रकरण में प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में तहसीलदार लाडपुरा एवं अप्रार्थीया नं0 2 की भी स्वीकारोक्ति है। उक्त परिस्थितियों में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा में स्थित प्रार्थीया के खाते दर्ज भूमि खसरा नं0 263/85 को अप्रार्थी कम 2 के खाते दर्ज करने तथा अप्रार्थी कम 2 के खाते दर्ज भूमि खसरा नं0 85 को प्रार्थीया के खाते दर्ज किया जावे।

उक्त निर्णय आज दिनांक 30/03/2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा